Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

लिंग भेदभाव का ग्रामीण बालिकाओ के जीवन पर प्रभाव का अध्ययन

Nanhi Kumari*

Research Scholar, Department of Home Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

सार – ***अध्ययन एक शहरी परिवार सेटअप में लिंग भेदभाव के दृष्टिकोण और अभ्यास को समझने का प्रयास करता है। हालांकि महिलाएं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा बनती हैं, फिर भी यह एक खतरनाक तथ्य है कि वे शायद ही कहीं भी प्रतिनिधित्व करती हैं। यह हमारे सदियों पुराने रीति-रिवाजों, मान्यताओं और प्रथाओं के कारण है, जो महिलाओं को मुख्य कार्य में आने के लिए बहुत अधिक पुन: उन्मुखीकरण की आवश्यकता है। यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब महिलाएं झोंपड़ियों पर काबू पाती हैं, अपना रवैया बदलती हैं और सामने आती हैं। इस प्रकार यह पत्र शहरी हाउस प्रबंधकों से लिंग भेदभाव के उनके दृष्टिकोण और व्यवहार के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करता है।***

कुंजी शब्द: लिंग भेदभाव, शहरीकरण, वरीयता, दृष्टिकोण।

----------X----------

परिचय

आधुनिक समय में शहरीकरण दुनिया भर में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। शहर ऐसी जगह हैं जहां विभिन्न संस्कृतियां और सामाजिक विकास जैसे कि वैश्वीकरण और मानव और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है। इसी समय, शहर उस स्थान को प्रदान करते हैं जहां ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से लैंगिक संबंधों और भेदभाव के विभिन्न नक्षत्रों को दर्ज किया गया है। विकासशील देशों में, महिलाएं उन लोगों का एक बड़ा अनुपात बनाती हैं जो बेहतर जीवन की उम्मीद में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं। चाहे जन्म हो या शहरी क्षेत्र में पलायन, लिंग भेदभाव की प्राथमिकता भारत में विशेष रूप से बनी रहती है। मदर थेरस शब्द ष्सबसे बड़ी बीमारी आज कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित होने की भावना" समाज में लिंग भेदभाव की तीव्रता पर प्रकाश डालती है। बच्चे का लिंग उसके अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश आबादी में रुझान महिला मृत्यु दर की तुलना में पुरुष की ओर रहा है जबकि दक्षिण एशिया में, महिला मृत्यु दर कई उम्र में पुरुष मृत्यु दर से अधिक है। हालांकि, भारत को इस घटना को उलटने का गौरव प्राप्त है, जो दर्शाता है कि महिला मृत्यु दर अधिक है (रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार जनरल 2003 की) विशेष रूप से नवजात और बचपन की उम्र में। भारत में घटते लिंगानुपात ने नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के बीच गहरी चिंताएँ बढ़ा दी हैं। (राहुल अभिजीत 2009)। सरकार ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका के रूप में घोषित किया है क्योंकि यह देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शपथ ग्रहण समारोह के साथ मेल खाता है।

अर्थ और परिभाषा

भेदभाव शब्द का अर्थ अलग तरह से व्यवहार करना है और लिंग भेदभाव का अर्थ है लिंग के आधार पर व्यक्तियों (समाज) को अपेक्षाकृत अलग उपचार। हमारे समाज में महिलाएं हीन व्यवहार से मिलती हैं और यह भेदभाव स्वास्थ्य देखभाल सहित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित है। यह कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मापदंडों के माध्यम से परिलक्षित होता है। लिंग सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, गतिविधियों, विशेषताओं और गुणों, व्यक्तित्व विशेषताओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है या किसी दिए गए संस्कृति, स्थान या समय में पुरुष और महिला को सौंपा जाता है जो किसी व्यक्ति की जैविक सेक्स से संबंधित है, का उपयोग जीव विज्ञान के रूप में किया जा सकता है, सीखा जा सकता है या जैविक और सांस्कृतिक निर्धारक के संयोजन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि "पुत्र की प्राथमिकता बाल देखभाल,

www.ignited.in

स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार सहित महिलाओं के जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है क्योंकि वह जन्म के समय से भेदभाव किया जाता है और कभी-कभी इससे पहले भी अगर यौन चयन प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं"। लैंगिक भेदभाव एक सामान्य शब्द है जहाँ लैंगिक भेदभाव केवल महिलाओं के लिए होता है, क्योंकि महिलाएँ ही लैंगिक भेदभाव की शिकार होती हैं। लैंगिक भेदभाव जैविक रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन यह सामाजिक रूप से निर्धारित किया जाता है और उचित सतत प्रयासों से भेदभाव को बदला जा सकता है। समानता, अधिकार और अवसर से वंचित करना और लिंग के आधार पर किसी भी रूप में दमन करना लैंगिक भेदभाव है। (शिवकेंद्र सिंह)

भारत में लैंगिक भेदभाव की व्यापकता भारतीय सभ्यता में माना जाता है कि बच्चे को केवल परिवार के भीतर ही नहीं बल्कि समाज के भीतर भी प्यार, देखभाल और स्नेह से पोषित किया जाना चाहिए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुसार बेटियों पर बेटों की प्राथमिकता या बेटों का विशेषाधिकार भारत में बढ़ती हुई घटना है। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के युग में जहाँ एक उद्देश्य "लैंगिक समानता को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त बनाना" है, बेटे की प्राथमिकता के मुद्दे पर और भी व्यापक रूप से बहस की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों में यह प्रक्रिया एक "पुत्र वरीयता" के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें बेटों को आशीर्वाद, वरदान, परिवार के वंश के वाहक के रूप में सराहना की जाती है, परिवार को आय और परिवार को बीमा, वृद्धावस्था के दौरान माता-पिता की देखभाल करने वाले और एक व्यक्ति जो कर सकते हैं मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दें अर्थात पुत्र माता-पिता के मरने पर अंतिम संस्कार की चिता को रोशन करें।

एक बेटे के बिना एक परिवार अधूरा है और एक सामाजिक शर्मिंदगी है। इसके विपरीत महिलाओं को अभिशाप, बोझ, और बेटी की परवरिश के लिए समय और धन की बर्बादी, परिवार के लिए खर्च, और परिवार के वंश के विकास के संदर्भ में बेकार है क्योंकि उसे कहीं और शादी करनी है और जो भी नाम कमाती है वह व्यर्थ हो जाता है। जिस परिवार से उसकी शादी हुई है। यद्यपि कानून द्वारा निषिद्ध है, दहेज अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है जो दर्शाता है कि सामाजिक विश्वास विनियमन से बड़ा है। इस प्रकार, विशेष रूप से बालिकाओं के मामले में उपेक्षा, दुर्व्यवहार और अभाव की घटनाओं में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। वास्तव में यह वह लिंग है जो भारतीय समाज में बालिकाओं की स्थिति को निर्धारित करता है। जो भी वर्ग या जाति की बालिकाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोका जाता है। भोजन, वस्त्र, प्रेम आश्रय, पर्यवेक्षण शिक्षा और चिकित्सा व्यय के संदर्भ में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करने में विफलता के रूप में बालिका परिवार की उपेक्षा का सामना करती है। यह उपेक्षा जानबूझकर या अनजाने में हो सकती है लेकिन प्रभाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट है

पुरुष प्रधान समाज के रूप में, भारत महिलाओं के साथ भेदभाव करने में असाधारण नहीं है। भारत में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पारंपरिक संस्कृति से जुड़ा है और समाज में गहराई से निहित हैय यह पुरुष और महिला के बीच पदानुक्रमित संबंध स्थापित करता है। भेदभाव एक सांस्कृतिक परंपरा रही है जिसे महिलाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है और पुरुषों द्वारा सामाजिक मूल्य के रूप में लागू किया जाता है। भारत एक धार्मिक और पुरुष प्रधान समाज है जहाँ महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले गौण माना जाता है। प्रत्येक समुदाय में पुत्र जन्म की पसंद लगभग आम है। विभिन्न रूपों में लिंग आधारित भेदभाव जन्म के ठीक बाद शुरू होता है और यह जीवन चक्र के माध्यम से जारी रहता है। भारती में प्रसिद्ध कहावत है "छोरा पाइ खासी, छोरी पई फरसी" जिसका शाब्दिक अर्थ है कि यदि एक महिला को क्रमशः लड़का और बेटी का जन्म दिया जाए तो उसे खाने के लिए बकरी और कद्दू मिलेगा। प्रदर्शन करने के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग व्यवहार हैं। इस तरह के भेदभाव ने समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच पदानुक्रमित संबंध स्थापित करने में मदद की है और कई कठोर लिंग मानदंडों को बनाने में मदद की है जो महिलाओं के अवसरों को प्रतिबंधित करते हैं और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में उनके विकास को रोकते हैं। विद्वानों ने महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार के भेदभावों की रिपोर्ट की है और यह जातीयता के अनुसार अलग है। ब्राह्मण और छेत्री को सबसे कमजोर समूह माना जाता है क्योंकि वे अक्सर कम उम्र में शादी का अभ्यास करते हैं। ब्राह्मण और छेत्री परिवारों की लड़कियों को उनकी सहमति के बिना कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है (ल्यूटल, 1992)। इसी तरह, महिलाओं को स्थानांतरित करने और स्वतंत्र रूप से बात करने की अनुमति नहीं है जो कुछ समय हिंसक में बदल जाती है। यह बताया गया कि महिला को पीटा गया था और दो लड़कों (द काठमांडू पोस्ट, 2007) के साथ बोलने के लिए उसकी योनि के अंदर मिर्च पाउडर और लहसुन का पेस्ट भी डाला गया था। अधिकारी (2007) ने यह भी बताया कि नवविवाहित दुल्हनें खाना नहीं खातीं क्योंकि वे चाहती हैं कि वे एक दिन के समय में स्थानांतरित न हों, यदि वे खाना चाहती हैं तो वे शौच के लिए बाहर जाना पड़ सकता है और पुरुष अपना चेहरा देखेंगे।

भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच शैक्षिक भेदभाव भी देखा जाता है। भारत में महिलाओं की वयस्क साक्षरता और

www.ignited.in

औसत स्कूली शिक्षा वर्ष पुरुषों (एचएमजी ध् एन, 2002) की तुलना में बहुत कम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लड़कियों को शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। पांडे (2006) ने बताया कि लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता के प्रति पुरुषों (30%) के प्रति अधिक महिलाओं (40%) का रवैया नकारात्मक है, जिसके परिणामस्वरूप लड़कों का उच्च प्रतिशत (50%) लड़कियों के खिलाफ बोर्डिंग स्कूल में अध्ययन करने का अवसर मिला (10%)। कुछ समुदायों में महिलाएं, विशेष रूप से मधेसी अभी भी सोचते हैं कि लड़कियों को शादी के बाद घर के कामों के लिए समय बिताना पड़ता है और उच्च शिक्षा के लिए लड़की को भेजना पसंद नहीं करते। मधेशी समुदाय की कुछ महिलाओं को उच्च शिक्षा और नौकरी का अवसर मिला लेकिन वे शादी के बाद इसे जारी नहीं रख सकीं क्योंकि पति और सास पर नौकरी छोड़ने का दबाव था क्योंकि उन्हें अलग-अलग लोगों के साथ स्थानांतरित करने और बातचीत करने की आवश्यकता थी (मंडल, 2007)।

कल्याण में वृद्धि से आज भारत में प्रजनन स्तर में गिरावट आई है। लोकप्रिय नारों "छोटे परिवार-खुशहाल परिवार" के साथ सफल अभियानों ने परिवार नियोजन को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। मजबूत पितृसत्तात्मक मूल्यों वाले परिवारों के लिए, छोटे परिवार की प्राथमिकता के लिए एक बेटा होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और दबाव बढ़ता है यदि परिवार केवल एक बच्चा होने का फैसला करते हैं, और यह केवल पुरुष होना चाहिए। (सुरेश शर्मा) एक विस्तृत भी है। बेटे की वरीयता में भिन्नता, दक्षिण में दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में अधिक मजबूत पुत्र वरीयता के साथ (डायसन और मूर 1983) दक्षिण एशिया के लाखों घरों में लड़की का जन्म एक बुरा शगुन माना जाता है। कन्या भ्रूण हत्या सदियों से हमारे साथ है। विभिन्न शोधों से पता चलता है कि पुरुष शिशुओं की तुलना में कम अवधि और कम चिकित्सकीय ध्यान देने पर महिला शिशुओं को खिलाया जाता है। इस प्रकार बालिका समाज का एक हिस्सा है, जो बेटों और जहां कन्या भ्रूण हत्या को रोकती है और गर्भपात प्रबल होता है, साथ ही निर्धारक प्रथाओं की एक पूरी श्रृंखला। शुरू से ही, लड़कियों को पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज के मानदंडों को स्वीकार करने के लिए बनाया जाता है और वे बड़े होकर खुद को लड़कों से हीन मानने लगती हैं। हालाँकि लड़की के लड़के के ऊपर प्राकृतिक जैविक लाभ होता है, फिर भी भारत में सामाजिक नुकसान लड़कियों के आनुवंशिक लाभ को कम करता है। जनांकिकीय रुझान गहरी जड़ें वाले लिंग भेदभाव का संकेत देते हैं

लिंग भेदभाव के कारण

लैंगिक भेदभाव का प्रमुख कारण शैक्षिक पिछड़ापन, जाति, धार्मिक विश्वास, पारिवारिक प्रतिष्ठा, कम आय या कोई रिटर्न वाला निवेश, सामाजिक दृष्टिकोण, धार्मिक हस्तक्षेप, मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास और पारिवारिक परिस्थितियां हैं। गर्भ से लेकर कब्र तक महिलाओं के जीवन के हर क्षेत्र में भेदभाव के अधीन हैं कुछ का उल्लेख करने के लिए स्कैनिंग के बाद कन्या भ्रूण का गर्भपात मादा फिशाइड या तो चावल की भूसी डालकर, तकिये से चेहरा दबाकर, बच्चे की गर्दन को तोड़कर, उसे मौत के घाट उतारने आदि के लिए प्रताड़ित करती है

अभाव

- पर्याप्त पौष्टिक भोजन न देना
- केवल आंशिक या आंशिक शिक्षा
- स्वास्थ्य देखभाल की उपेक्षा
- जल्दी शादी
- घरेलू कामों में अंतर के अधीन

सामाजिक-जनसांख्यिकी विशेषताओं

आयु

जैसा कि आयु वार वितरण के अनुसार पाया गया कि 59 प्रतिशत उत्तरदाता 45-50 आयु वर्ग के थे, जबकि 11 प्रतिशत 51-55 वर्ष के आयु वर्ग में, 12 प्रतिशत 56-60 आयु वर्ग और 18 में थे। प्रतिशत 61 वर्ष से अधिक थे

शिक्षा

उत्तरदाताओं में से 83 प्रतिशत साक्षर थे, जबकि बाकी के पास ऐसी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी और यह उन साक्षरों के बीच पाया गया था जिन्हें वे बारहवीं कक्षा तक शिक्षित थे (68 प्रतिशत)

व्यवसाय

43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि उनके पास कोई आय नहीं है, जबकि शेष 57 प्रतिशत ने खुद को फूल बांधने, बीड़ी रोल करने, रोटियां तैयार करने आदि में लगे हुए थे। 1000 से 2000 प्रति माह हालांकि यह अल्प आय थी

www.ignited.in

लेकिन उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि यह राशि वे कुछ व्यक्तिगत सामान लेते थे और अपने पति को उनकी कठिनाइयों के दौरान भी सहायता करते थे

परिवार का प्रकार

जवाब देने वालों में 72 फीसदी परमाणु परिवार से थे और 28 फीसदी संयुक्त परिवार से थे।

वैवाहिक स्थिति

73 प्रतिशत विवाहित थे और शेष 26 प्रतिशत एकल थे यानी या तो विधवा या तलाकशुदा थे और अलग हो गए थे।

विवाह के समय आयु

उत्तरदाताओं में से 44 प्रतिशत का विवाह 20 वर्ष की आयु से पहले कर दिया गया था, जबकि 40 प्रतिशत विवाहित आयु के आयु में 212 वर्ष और 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 26 वर्ष की आयु के बाद विवाह किया। 30 साल बाद किसी की शादी नहीं हुई

पहले बच्चे के जन्म के समय

उत्तरदाताओं में से अधिकांश की उनकी पहली संतान 25 वर्ष (60 प्रतिशत) की आयु से पहले थी, जबकि 40 प्रतिशत तब थी जब उनकी आयु 25 से 30 वर्ष के बीच थी

सामाजिक आर्थिक प्रभाव

बेहतर कनेक्टिविटी गरीबी को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होगी (I) किसानों को ग्रामीण बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से लाभ होगा और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, (II) ग्रामीण समुदाय निर्वाह खेती से अधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख कृषि में स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे उत्पादन, (III) उच्च मूल्य के नाशवान उत्पादों के उत्पादन की मुख्य धारा का निर्माण संभव हो जाएगा, (IV) गरीब परिवार अपने गांवों के बाहर बेहतर रोजगार प्राप्त करने में सक्षम होंगे, (V) गैर-कृषि उद्यमों में निवेश तेज गति से बढ़ेगा और (VI) निवेश कार्यक्रम खुद ग्रामीण महिलाओं सहित ग्रामीण गरीबों के लिए श्रम अवसर पैदा करेगा।

लिंग-विशिष्ट प्रभाव

बेहतर कनेक्टिविटी के परिणामस्वरूप कई होंगे राज्यों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ। यह विशेष रूप से सुरक्षित संस्थागत प्रसव को बढ़ाएगा, मातृ और जन्मपूर्व मृत्यु और बच्चों की मृत्यु दर को कम करेगा, और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लड़कियों के नामांकन में वृद्धि करेगा। यह महिलाओं और लड़कियों के लिए आर्थिक अवसरों और सुरक्षित गतिशीलता को भी बढ़ाएगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. लिंग भेदभाव का ग्रामीण बालिकाओ के जीवन पर प्रभाव का अध्ययन

2. लिंग भेदभाव के कारण का अध्ययन

निष्कर्ष

इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का पद "आप महिलाओं की स्थिति को देखकर राष्ट्र की स्थिति बता सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना और महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए उनकी क्षमता पर विश्वास करना। महिलाओं को न केवल स्वयं पर अपनी क्षमताओं और क्षमताओं को समझने की आवश्यकता है, बल्कि अपने बच्चों की मानसिकता को भी मजबूत करना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ी इस रुख से लाभान्वित हो सके। पुरुष चॉविनिज्म को दोनों बच्चों के प्रति समान दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और अगर हम लैंगिक भेदभाव को समाप्त कर सकते हैं तो महिलाएं परिवार, राष्ट्र और दुनिया को विकसित करने के लिए सभी संभावित कौशल, ज्ञान प्रदान करेंगी महिलाओं का मानना है कि लिंग और प्रथा प्रथा भेदभाव के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक हैं। वे परिवार के विभिन्न सदस्यों जैसे पिता, पति और सास के भेदभाव के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ हद तक महिलाओं को खुद को भेदभाव के लिए जिम्मेदार पाया गया क्योंकि वे चीजों को सांस्कृतिक रूप से समझती हैं और तदनुसार लिंग आधारित जिम्मेदारियों को बिना भेदभाव के मानती हैं।

संदर्भ

1. अबे असफॉ, स्टीफन क्लासेन और फ्रांसेस्का लमन्ना: भारत में मृत्यु से पहले बच्चों की चिकित्सा देखभाल में अंतर-घरेलू लिंग संबंधी असमानता, चर्चा पत्र संख्या 25.286, गोटिंगेन विश्वविद्यालय, जनवरी 2007

2. डायसन टी और मूर एम, "रिश्तेदारी संरचना, महिला स्वायत्तता और जनसांख्यिकीय संतुलन पर"

www.ignited.in

जनसंख्या और विकास की समीक्षा, 9, पृष्ठ 35-6, 1983

3. भारत सरकार 2008, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012), टवस- II, नई दिल्ली, योजना आयोग।

4. कल्याणी मेनन सेन और शिवकुमार ए. के.: "भारत में महिलाएं, कितनी स्वतंत्र हैं? कितना समान "नई दिल्ली UNDAF] 2001

5. रश्मि शर्मा और एस मुखर्जी: अहमदाबाद, गुजराती, ग्रामीण सामुदायिक चिकित्सा, राष्ट्रीय जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, खंड 2 अंक 111-116, 2011 में ग्रामीण वर्सस शहरी आबादी में लिंग भेदभाव के चयनित मापदंडों का तुलनात्मक अध्ययन

6. राहुल अभिजीत सिरोही: भारत में लिंग भेदभाव, अर्थशास्त्र विभाग, वेनिस की कैफोसिस यूनिवर्सिटी, पीएचडी थीसिस -2009 प्रकाशित

7. शिवकुमार एम: भारत में लिंग भेदभाव और महिला विकास, एमपीआरए पेपर नंबर 10901, 10901। 2008

8. सुरेश शर्मा: बाल स्वास्थ्य और बच्चों की पोषण स्थिति: लिंग अंतर की भूमिका, गरीबी, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य और जनसंख्या स्थिरीकरण पर जनसंख्या (ISAP) के अध्ययन के लिए इंडियन एसोसिएशन के XXVII वार्षिक सम्मेलन में प्रस्तुत एक पेपर जनसंख्या पुनर्वसन केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

9. सुरूचि तिवारी: शहरी मलिन बस्तियों में बच्चों के बीच लैंगिक भेदभाव, मानवविज्ञानी, 7 (4): 247-252, 2005

10. अधिकारी, चेतन (2007). पेटभारी खाद्यान महिला (शाब्दिक अर्थ है कि महिलाएं पेट भर खाना नहीं खाती हैं), कांतिपुर: भारती राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, वर्ष १५ (6 News Paper) (2 पद) अप्रैल

11. बस्तोला, गरिमा (2007). जन्म से पहले लिंग असमानता, काठमांडू पोस्ट: राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, वॉल्यूम। ग्ट (69) (28 अप्रैल)

12. भद्रा, चंद्र (2002). गरीबी, लिंग और अंतर-घरेलू संसाधन वितरण: मानव संसाधन विकास का कार्यान्वयन, हमरो संसार: महिला अध्ययन का एक जर्नल, अंक (1): 6 - 12।

Corresponding Author

Nanhi Kumari*

Research Scholar, Department of Home Science, B.R.A. Bihar University, Muzaffarpur

www.ignited.in